बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या 70/2014 के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में **गणित** विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित एवं औपबंधिक रूप से अर्हित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 25.05.2016 से 03.06.2016 (रविवार को छोड़ कर) तक सम्पन्न हो चुका है। वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की अन्य न्यूनतम शर्तों को पूरा करते है तथा दिनांक 01.12.2002 के पूर्व BET/SET उतीर्ण हैं, उन्हें औपबंधिक रूप से अर्हित करते हुए साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नांकित है :–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
बुधवार 30.11.2016	70010162, 70010270, 70010415, 70010658, 70010779, 70011154, 70011464	--

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **दिनांक 20.11.2016** से आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र–II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
3. **साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जा रहे आवेदको की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासमय आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
4. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–**
   (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
   (ii) मैट्रिक का मूल अंक प्रमाण पत्र
   (iii) इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र।
   (iv) इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र।
   (v) स्नातक का मूल अंक पत्र।
   (vi) स्नातक की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   (vii) स्नातकोत्तर का मूल अंक पत्र।
   (viii) स्नातकोत्तर की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   (ix) BET/SET की उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
   (x) पीएच॰डी॰ का डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
   (xi) अभ्यर्थी विशेष के नाम से पीएच॰डी॰ यू॰जी॰सी॰ परिनियम 2009 के साथ होने का मूल प्रमाण पत्र।
   (xii) एम॰फिल॰ उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
   (xiii) अभ्यर्थी विशेष के नाम से एम॰फिल॰ यू॰जी॰सी॰ परिनियम 2009 के साथ होने का मूल प्रमाण पत्र।
   (xiv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (xv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित मूल प्रमाण पत्र से संबंधित घोषणा पत्र (अगर क्रीमीलेयर रहित मूल प्रमाण पत्र एक वर्ष के पूर्व का हो)
   (xvi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए जाति मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (xvii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (xviii) निःशक्तता संबंधी मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (xix) मूल पहचान पत्र (फोटो सहित) की मूल प्रति।

   साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (05.01.2015) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

   यदि आप अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा शारीरिक विकलांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
5. UGC (Minimum Standard and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009 **की कंडिका 20 का उद्धरण निम्नवत् है** – "Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution deemed to be University, College/Institution of National Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम॰फिल॰/पीएच॰डी॰ आदि के लिए गठित न्यूनतम मानक प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार पीएच॰डी॰ की डिग्री प्राप्त करने का दावा करते हों, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में दो स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
8. दिनांक 01.12.2002 के पूर्व BET/SET उतीर्ण किसी अभ्यर्थी का अनुक्रमांक साक्षात्कार सूची में यदि नही है तो वे दिनांक 15.11.2016 तक साक्ष्यों के साथ अभ्यावेदन दे सकते हैं।
9. BET/SET उतीर्ण सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पर वैधिक स्थिति के अनुरूप निर्णय लेने के लिए आयोग पूर्णतया स्वतंत्र रहेगा।

28/10/16
अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना